(3)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण वाद सं0 01/2020-21

सरकार..आवेदक

बनाम

म0 हसीम..विपक्षी

आदेश

05.10.2021

यह अधिहरण वाद पुलिस अधीक्षक दुमका के ज्ञापांक-860/अप0शा0 दिनांक-29.06.2020 के साथ अनुलग्नक शिकारीपाड़ा थाना, दुमका के ज्ञापांक-611/शिकारीपाड़ा दिनांक-09.04.2020 के आधार पर प्रारंभ किया गया है।

पुलिस अवर निरीक्षक शिकारीपाड़ा थाना जिला दुमका के लिखित आवेदन के आधार प्राथमिकी अभियुक्त 1 मुकेश कुमार यादव पिता-गुडडू याछ सा0-मानिकचक, थाना एवं जिला बांका 2 सत्यनारायण दास पिता-बासुदेव दास सा0 विजनगर थाना एवं जिला बांका 3. मो0 फैजल 4 मो0 ताहीर , दोनो पिता मो0 सलाम सा0 दौवना थाना-अमरपुर जिला बांका 5 मो0 सहीम पिता मो0 ईशाक ग्राम दौवना थाना अमरपुर जिला बांका एवं 6. हाईवा ट्रक मालिक के विरूद्ध गोवंशीय पशु को क्रुरता पूर्वक लादकर तस्करी करने के आरोप में दर्ज किया गया है।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोपरांत इस कांड के सभी नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 414/34 भा0द0वि0 12 (i)(ii)(iii) झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या निषेध 2005 एवं 11(d) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत सत्य पाया गया है। इस काण्ड के घटना स्थल से जप्ती सूची के अनुसार बिना नम्बर का हाईवा ट्रक दस चक्का (चेचिस नं0 MAT 448861 J2F15041, MODEL-TATA LPK 2518 TIPPER) पर लदे 18 गाय एवं 06 बछड़ा कुल 24 (चौबीस) मवेशी को विधिवत जप्ती सूची बनाकर दिनांक-07.03.2019 को जप्त किया गया तथा सभी नामजाद अभियुक्तों (1) मुकेश कुमार यादव, (2) सत्य नारायण दास (3)

(५)

मो0 फैजल (4) मो0 ताहीर को गिरफ्तार को जेल भेज दिया गया एवं उनके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।

हाईवा ट्रक दस चक्का (चेचिस नं0 MAT 448861 J2F15041, MODEL-TATA LPK 2518 TIPPER) के मालिक मो0 हसीम पिता बोनु हाजी साकिन खड़ियारा थाना बाराहाट जिला बांका न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिनांक–03.09.19 को जमानत कर मुक्त हो चुके है।

सहायक अवर निरीक्षक शिकारीपाड़ा एवं पुलिस अधीक्षक दुमका द्वारा जप्त हाईवा ट्रक (दस चक्का) चेचिस नं0 MAT 448861 J2F15041, MODEL-TATA LPK 2518 TIPPER अधिहरण करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता को सुना। अधिहरण वाद प्रारंभ करने के पश्चात् विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, किन्तु उनके ओर कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया ओर न ही न्यायालय में उपस्थित हुए। इसलिए एकपक्षीय सुनवाई किया गया।

स0अ0नि0 शिकारीपाड़ा द्वारा दिनांक–21.02.21 को एक आवेदन दाखिल कर सूचित किया गया है कि संबंधित जप्त वाहन दस चक्का हाईवा चेचिस नं0 MAT 448861 J2F15041, MODEL-TATA LPK 2518 TIPPER मुक्त किया जा चुका है।

पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त ट्रक पर कुल 24 (चौबिस) मवेशी बहुत ही बर्बतरतापूर्वक/क्रुरतापूर्वक लदा गया 18 अद्द गाय और 6 अद्द बछड़ा थे। पकड़े गए व्यक्ति द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया। बिना नम्बर के हाईवा ट्रक पर निर्दयता/क्रुरता पूर्व लदे मवेशी को गो तस्करी करते हुए एक राज्य से दूसरा राज्य ले जाने के क्रम में पकड़ा गया है। पकड़े गए व्यक्ति एवं हाईवा मालिक के विरूद्ध धारा 414/34 भा0द0वि0 एवं 12(5) झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या के अन्तर्गत एवं संज्ञेय अपराध है, के आरोप में कांड अंकित किया गया है।

(5)

अतः पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया अनुशंसा को स्वीकृत करते हुए इस कांड में जप्त बिना नम्बर का हाईवा ट्रक चेचिस नं0 MAT 448861 J2F15041, MODEL-TATA LPK 2518 TIPPER अधिहरण किया जाता है। थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा को आवश्यक कार्रवाई हेतु आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

3/10/21	3/10/21
उपायुक्त,	उपायुक्त,
दुमका।	दुमका।

15 ... 11-1-22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.16 15:16:53 +05:30
Location: 169.254.227.244